न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 11/2010

1. श्री जवाहरलाल पुत्र छोगा जाट
2. श्री किशनलाल पुत्र भूरा जाट
3. श्री बैनात पुत्र भूरा जाट
4. श्री सुखलाल पुत्र जवाहरलाल जाट
   समस्त निवासीगण जूनिया गेट के बाहर, केकड़ी, जिला अजमेर।
5. श्री भंवरलाल पुत्र गंगाराम नायक
6. श्री रामेश्वर पुत्र गंगाराम नायक
   समस्त निवासीगण जूनिया गेट के बाहर, केकड़ी, जिला अजमेर।

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1. श्री महावीर
2. श्री रतन
3. श्री कैलाश
   पुत्रगण रामनिवास नायक
4. रामकन्या बेवा रामनिवास
   समस्त निवासी हाल कृष्णानगर, अजमेर रोड़, केकड़ी, जिला अजमेर
5. सत्यनारायण उर्फ सीताराम पुत्र रामकिशन नायक निवासी पानी की टंकी के पास, दण्ड का रास्ता, केकड़ी, जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

———

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से।
3. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक 13.07.2016

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 08.06.1985 को ग्राम केकड़ी जिला अजमेर में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री रामनिवास व श्री सत्यनारायण पुत्रगण श्री रामकिशन जाति नायक निवासीगण ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी जिला

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अजमेर के पक्ष में ग्राम केकड़ी के साबिक खसरा नम्बर 504 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा 10 बिस्वांसी हाल खसरा नम्बर 696 रकबा 0.12 व खसरा नम्बर 697 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता/पति व अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में किए गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तु जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता/पति व अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व उद्घोषणा जारी नहीं की गई तथा न ही ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार की गई। आवंटन नियमों के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन किया गया है, जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक नहीं है, इनके नाम राजस्व रेकार्ड में पूर्व में ही काफी कृषि भूमि दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र में खातेदारी भूमि का विवरण अंकित नहीं किया गया है, इस प्रकार इन्होंने तथ्यों को छिपा कर कपटपूर्वक विवादित भूमि का आवंटन करवाया है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 696 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में पाल दर्ज है तथा मौके पर भी उक्त भूमि पाल के रूप में काम में आ रही है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 697 मौके पर नाड़ी है जो पशुओं के पानी पीने के काम में आती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटित भूमि काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है। ऐसी भूमि का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आवंटन नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में भी सिवायचक दर्ज है तथा अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है। उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 503 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन करवा कर आवंटित भूमि अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी थी। इस प्रकार अप्रार्थीगण बार-बार सिवायचक भूमि को आवंटित करवा कर विक्रय कर देते है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटित भूमि में से प्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामवासियान के पशुओं के चरागाह में जाने तथा कृषि भूमि में जाने का रास्ता है, यदि विवादित भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण एवं अन्य ग्रामवासी अपनी कृषि भूमि में आने जाने के रास्ते से वंचित हो जायेंगे। अतः अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में समस्त गलत तथ्य अंकित किये

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

गये है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता/पति एवं अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन नियमानुसार मजमे आम में पूर्ण जांच पश्चात् किया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छिपाकर कपटपूर्वक विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है। नियमानुसार किसी भी व्यक्ति को भूमि का आवंटन उसी स्थिति में किया जा सकता है जब उसके पास 10 एकड़ से कम भूमि पूर्व में धारित हो। अप्रार्थीगण के नाम वरवक्त आवंटन 25 बीघा से कम भूमि थी अर्थात अप्रार्थीगण भूमिहीन कृषक थे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि प्राथीगण के स्वयं के कथनों में विरोधाभाष है, एक तरफ विवादित भूमि को पाल बता रहे है वहीं दूसरी ओर रास्ता होना बताया जा रहा है। उनका यह कथन भी गलत है कि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का आवंटन करवा कर अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी जाती है। पंजीकृत विक्रय पत्र से स्पष्ट है कि विक्रय दूसरी भूमि का हुआ है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन वर्ष 1985 में किया गया है, इतनी लम्बी अवधि पश्चात् तकनीकी बिन्दु पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता/पति के नाम पूर्व में ही काफी अधिक कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित है, उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में धारित भूमि का विवरण अंकित नहीं किया गया है। उनका उक्त कृत्य छलकपट पूर्वक विवादित भूमि आंवटित करवाने की परिभाषा में आता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी भूमि का विक्रय कर पुनः कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन करवायी जाती रही है। हम वकील प्रार्थीगण के इन कथनों से सहमत है कि आराजी खसरा नम्बर 696 जमाबंदी संवत 2065–68 में गैर मुमकिन पाल व खसरा नम्बर 697 नाड़ी के रूप में काम में ली जा रही है, जो पशुओं के पानी पीने के काम में आती है। अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटित भूमि काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि है, ऐसी भूमि का किसी भी व्यक्ति के पक्ष में आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि वर्तमान में भी सिवायचक दर्ज है। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में दिनांक 08.06.1985 को किया गया, विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक **13.07.2016** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner